

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी: सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 14/2023, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल संजय कुमार बैरवा पुत्र श्री देवीसहाय जाति बैरवा निवासी बैरवा मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा ।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल संजय कुमार बैरवा स्वयं उपस्थित ।

–: निर्णय :–

दिनांक:–20.03.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल संजय कुमार बैरवा पुत्र श्री देवीसहाय जाति बैरवा निवासी बैरवा मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	कायमी दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	थाना कोतवाली दौसा	143/2020	02.03.2020	13 RPGO	90/2020	27.03.2020	सजा 100 रुपये अर्थदण्ड दिनांक 21.07.2020
2.	थाना कोतवाली दौसा	319/2020	04.08.2020	13 RPGO	273/2020	18.08.2020	सजा 200 रुपये अर्थदण्ड दिनांक 25.08.2020

उक्त शख्स संजय कुमार बैरवा पुत्र श्री देवीसहाय जाति बैरवा निवासी बैरवा मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा जुआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरुद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते हैं। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल स्वयं दिनांक 20.03.2024 को उपस्थित आया। लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरुद्ध कोतवाली थाना दौसा में जुआ सट्टे के अपराध से सम्बन्धित धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज किये गये हैं। जिसमे गैर सायल को सजा भी हो चुकी है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुआ सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियां बढती जा रही है। जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है। गैर सायल का स्वच्छन्द रहना समाज के लिये संकटमय हो गया है। अतः गैर सायल संजय कुमार बैरवा पुत्र श्री देवीसहाय जाति बैरवा निवासी बैरवा मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

गैर सायल द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी अत्यन्त गरीब है तथा मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी किसी भी तरह से जुआ सट्टा के अपराध में लिप्त नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये आरोप कतई असत्य व बेबुनियाद दर्ज किये गये है। प्रार्थी के विरुद्ध अब तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जो गुण्डा एक्ट की श्रेणी में आता हो। प्रार्थी के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरणों का निर्णय हो चुका है। प्रार्थी के विरुद्ध अन्य कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी शान्तिपूर्वक रहकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। अतः प्रार्थी के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही निरस्त किये जाने का श्रम करें।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरुद्ध पूर्व में धारा 13 आरपीजीओ के दर्ज है जिसमें गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल संजय कुमार बैरवा पुत्र श्री देवीसहाय जाति बैरवा निवासी बैरवा मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा जुआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुआ खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के मध्यनजर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुआ-सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल संजय कुमार बैरवा पुत्र श्री देवीसहाय जाति बैरवा निवासी बैरवा मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा को दिनांक 21.03.2024 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल लालसोट के रास्ते होते हुये थाना सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना सवाईमाधोपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र सवाईमाधोपुर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना सवाईमाधोपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं को सवाईमाधोपुर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।

( सुमित्रा पारीक )  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा  
यह निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

( सुमित्रा पारीक )  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

